भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. 17/8/Inclusion/2013/RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: 27.06.2016

To,

The Secretary,
Ministry of Tribal Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001

Sub: Inclusion of 'Binjhiya' community in the list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh State.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Chairperson, NCST, on 31.05.2016 for necessary action and to send the action taken report to the Commission urgently.

Yours faithfully,

(K. D. Bhansor) Mrs.
Director

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल सं. 17/8/Inclusion-आर.यू.-III

छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बिंझिया समुदाय को शामिल करने बाबत्।

बैठक की तिथियां	-	25.05.2016 एवं 31.05.2016
बैठक में उपस्थित	-	परिशिष्ट (क)

छत्तीसगढ़ राज्य के "बिंझिया" समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 12016/10/2005-सीएंडएलएन-1, दिनांक 21.03.2013 द्वारा प्रस्ताव आयोग को विचार/टिप्पणी के लिए भेजा गया था। उपरोक्त प्रस्ताव को आयोग ने 46वीं, 51वीं, 53वीं, 59वीं बैठकों में विचार विमर्श किया। आयोग की 46वीं बैठक दिनांक 26.04.2013 में हुई चर्चा -

> "The Commission therefore recommended that the Ministry of Tribal Affairs may be asked to forward detailed proposal/recommendations of the State Government of Chhattisgarh on the subject. The Commission expressed that, if necessary, a team from the Commission may also visit the areas inhabited by the BINJHIYA community in the State of Chhatisgarh before formulating its opinion". तथा आयोग द्वारा उपरोक्त दिए गए टिप्पण को दिनांक 16.05.2013 को जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा गया।

(2). 51 वीं बैठक दिनांक 22.11.2013 में विचार कर जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 16.12.2013 को यह कहते हुए सूचित किया :-

> "The Commission noted that no additional information beside the recommendation of the State Tribal Research Institute has been received. The Commission, therefore, decided that a team from the Commission may visit the areas inhabited by Binjhiya community in the State of Chhattisgarh before formulating its opinion." भेजा गया।

(3). उपरोक्त बैठक के अनुसरण में आयोग की टीम माननीय सदस्य श्री बी.एल. मीना की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2014 से दिनांक 07.02.2014 को छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा किया। दौरा

रामेश्वर 3/6

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रिपोर्ट पर आयोग की 53वीं बैठक दिनांक 22.05.2014 में, 59वीं बैठक दिनांक 05.08.2014 में आयोग ने विचार किया कि-

> Since the historical and the Census records as well as the study conducted by the Member of the Commission reveals that Binjhia were originally either a synonym or sub-tribe of Binjhwar Community, the Commission accepted the recommendation made in the Report of the Member, National Commission for Scheduled Tribes to include BINJHIA as independent Community in the list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh State keeping in view the judgment of the Supreme Court of India. The Registrar General of India has also agreed for inclusion of Binjhiya Community in the list of Scheduled Tribes. In order to ensure that genuine persons belonging to BINJIA community only get the benefit of inclusion of the community in the list of Scheduled Tribes, the Commission recommended inclusion of Binjhia Community in the list of Scheduled Tribes in Raipur, Janjgir-Champa, Ambikapur, Korba and Koriva Districts only of the Chhattisgarh State where they are stated to be found and mention the blocks, villages, tolas and hamlets where they are to be found. Since an area restriction has to be imposed while scheduling BINJHIA community as a ST. The Commission was also of the view that state Government should take steps to assess the population of BIJHIA community in each hamlet/village/Block/tehsil in the above mentioned districts, which will help check unexpected reporting of its population in the next Census and also assist the revenue authorities while issuing certificates to genuine persons belonging to BINJHIA community.

(4). जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उपरोक्त के संदर्भ में पत्र दिनांक 02.11.2015 छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 30.09.2015 की कॉपी संलग्न करते हुए आयोग को लिखा कि बिंझिया समुदाय को छत्तीसगए राज्य के केवल रायपुर, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, कोरबा तथा कोरिया जिलों में जहां वे पाये जाते हैं, में क्षेत्र प्रतिबंध के साथ अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जा सकता है तथा लिखा है-

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1. "छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन जिलों के गठन संबंधी जारी अधिसूचना दिनांक 01.01.2012 के पूर्व बिंझिया जाति का नृजातीय अध्ययन कर पूर्ववर्ती जिलों रायपुर, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, कोरबा एवं कोरिया में उक्त जाति को उनमें पाये गये जनजातीय लक्षणों के आधार पर राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी अभिमत 17.01.2011 को प्रेषित किया गया था।
2. राज्य शासन द्वारा पुनर्गठन आदेश दिनांक 01.01.2011 के द्वारा पूर्व से स्थापित जिलों के अतिरिक्त 09 नवीन जिलों की स्थापना की गई है। पूर्ववर्ती रायपुर जिला तीन जिलों क्रमशः रायपुर, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा, में इसी तरह अंबिकापुर (सरगुजा), सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज में विभक्त हो चुका है।
3. प्रांतीय बिंझिया समाज सुधार संघ, छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष द्वारा भी 09 नवीन नवगठित जिलों में से रायपुर में बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद एवं अंबिकापुर (सरगुजा) में सूरजपुर एवं बलरामपुर जिला गठित हुआ है वहां भी बिंझिया जाति के लोग निवास करते हैं, इसके अतिरिक्त बिंझिया जाति के लोग रायगढ़ एवं महासंमुद जिलों में भी निवासरत हैं का उल्लेख करते हुए इन जिलों को भी सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है (आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न है)।

(5). आयोग ने उपरोक्त पर छत्तीसगढ़ सरकार से निम्नलिखित जानकारी मांगी गई-

1. रायपुर व अंबिकापुर(सरगुजा) में से बनाए गए नए जिलों की सीमा/क्षेत्र पूर्ववर्ती रायपुर एवं अंबिकापुर(सरगुजा) जिलों के अंतर्गत से ही हैं या किसी अन्य जिले की सीमा को शामिल किया गया है।
2. बनाए गए उक्त नए जिलों की जनसंख्या पूर्ववर्ती जिलों की जनसंख्या में से ही है या किसी अन्य जिले की जनसंख्या को शामिल किया गया है।
3. बिंझिया समुदाय की आबादी उक्त नौ जिलों में है या पूर्ववर्ती पांच जिलों के अनुरूप ही है।

(6). छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 15.01.2016 को स्पष्टीकरण भेजा-

1. रायपुर व अंबिकापुर (सरगुजा) बनाए गये जिलों की सीमा / क्षेत्र पूर्ववर्ती रायपुर एवं अंबिकापुर (सरगुजा) जिलों के अंतर्गत से ही हैं या किसी अन्य जिले की सीमा को शामिल नहीं किया गया है।
2. बनाये गये उक्त नये जिलों की जनसंख्या पूर्ववर्ती जिलों की जनसंख्या में से ही है।
3. बिंझिया समुदाय की आबादी उक्त नौ जिलों में ही है।

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(7). छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त जानकारी/Clarification पर अध्यक्ष महोदय ने सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत के महापंजीयक, तथा सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, को आयोग मुख्यालय में चर्चा के लिए बुलाया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आयोग को status note (कॉपी संलग्न है) द्वारा अवगत करवाया कि-

> Above stated comments of NCST were sent to Government of Chhattisgarh for comments. In response, State Government vide its letter dated 30.09.2014 had proposed for inclusion of Binjhia community in 11 districts namely Raipur, Baloudabazar-Bhata Para, Gariaband, janjgir-Champa, Surguja (Ambikapur), Surajpur, Balrampur-Ramanuganj, Korba, Koria, RAigad and mahasamund, Said comments of the State Government were sent to NCST on 02.11.2015 and comments / views of NCST are awaited.

(8). आरजीआई के डीडीआरजी ने आयोग को प्रकरण पर सूचना दी कि आरजीआई ने अपने पत्र संख्या D.O. No. 8/1/2005/SS(Chhattisgarh) के द्वारा दिनांक 19.03.2013 को बिंझिया जाति को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा पहले ही करदी थी।

(9.) छत्तीसगढ़ राज्य के उपस्थित अधिकारी मामले से संबंधित जानकारी से आयोग को संतुष्ट नहीं कर पाए तथा अध्यक्ष महोदय ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, के सचिव से दूरभाषा पर बात-चीत की तथा 31.05.2016 को उन्हें आयोग में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया।

(10.) दिनांक 31.05.2016 को श्री जी.एम. झा, उप निदेशक आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग उपस्थित हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने दिनांक 28.05.2016 का राज्य सरकार का वक्तव्य की सूचना दी तथा पत्र क्रमांक/एफ-10-6/2009/25/2 आयोग को पेश किया जिसमें कहा गया :-

"प्रांतीय बिंझिया सामाज द्वारा राज्य में जिला पुनर्गठन अधिसूचना से **पूर्व प्रस्तावित जिला रायपुर एवं अंबिकापुर (सरगुजा) से नवीन जिलों यथा बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज के अस्तित्व में आ जाने** व उनमें भी बिंझिया परिसर निवासरत होने के कारण तथा अन्य जिले **रायगढ़ एवं महासमुंद** जिले में भी बिंझिया समुदाय निवासरत होने की जानकारी अपने आवेदन में देते हुए उक्त जिलों को भी शामिल करने का निवेदन दिनांक 12.011.2014 को किया था।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तदानुसार शासन द्वारा पूर्व प्रस्तावित जिलों से पृथक होकर अस्तित्व में आये नवीन जिलों रायगढ़ एवं महासमुंद जिले में निवासरत परिवारों का स्थल परीक्षण उपरांत प्रस्ताव **दिनांक** 30.09.2015 को प्रेषित किया गया था।

किंतु राज्य शासन द्वारा भविष्य में पनु: जिला पुनर्गठन कर नवीन जिलों को अस्तित्व में लाने की संभावना है, जिससे बिंझिया जाति को **क्षेत्रबंधन** (Area Restriction) के तहत यदि वर्तमान प्रस्तावित 11 जिलों के लिये ही अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित किया जाता है तो भविष्य में गठित नवीन जिलो के बिंझिया समुदाय के परिवार जो छत्तीसगढ़ राज्य में गैर-जनजातीय समुदाय नहीं है, वे अपने स्वाभाविक लाभ से वंचित हो सकते हैं।

अतएव अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिंझिया समुदाय जो **गैर-जनजातीय समूह** (Non-Tribal Group) **नहीं है, को क्षेत्रबंधन** (Area Restriction) के तहत राज्य के कुछ जिलों के लिये अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल न करते हुए **सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये (क्षेत्र बंधन मुक्त) अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 11 पर बिंझवार के साथ शामिल किये जाने का कष्ट करें"।**

आयोग ने आरजीआई के अनुशंसा/पत्राचारों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्पष्टीकरण को मद्देनजर रखते हुए बिंझिया समुदाय को **छत्तीसगढ़ राज्य के लिये (क्षेत्र बंधन मुक्त)** अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का समर्थन किया।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

25.5.16

STATUS NOTE ON INCLUSION OF BINJHIA COMMUNITY OF CHHATTISGARH
(As on 24.5.16)

1. Proposal and recommendation of State Government of Chhattisgarh vide letter dated 17.2.2011 for inclusion of Binjhia community in five districts namely (Raipur, Janjgir-Champa, Surguja, Koria and Korba) alongwith ethnographic study report of Tribal Research & Training Institute Raipur was sent to RGI on 16.11.11 for comments.

2. RGI on 19.3.13 had supported proposal of State Government of Chhattisgarh for inclusion of Binjhia community as on independent entry in the list of STs of the State.

3. RGI comments was sent to NCST on 21.3.13 for comments. NCST considered the proposal in its 46th meeting on 26.4.13. Decision taken and the action points emerged out of the discussion were communicated to the Ministry vide letter of NCST dated 16.5.13. Relevant portion of the decision and action points are reproduced below:

> *"Commission also noted that the recommendation of the Registrar General of India is based on a study report of the Chhattisgarh State Tribal Research Institute published in the year 2010, but the Report of the TRI cannot be considered as recommendation of the State Government. The Commission therefore recommended that the Ministry of Tribal Affairs may be asked to forward detailed proposal/ recommendation of the State Government of Chhattisgarh on the subject. The Commission expressed that, if necessary, a team from the Commission may also visit the areas inhabited by the BINJHIYA community in the State of Chhattisgarh before formulating its opinion.".*

4. Above stated observations of NCST were sent to State Government of Chhattisgarh on 27.5.13 for providing recommendation and ethnographic justification. State Government on 12.8.13 furnished recommendation with ethnographic information to Ministry of Tribal Affairs. Ministry of Tribal Affairs on 5.9.13 sent the same to NCST for their views. NCST on 15.9.14 sent their comments/views and agreed to the proposal with following observation:

"The Registrar General of India has also agreed for inclusion of Binjhia Community in the list of Scheduled Tribes. In order to ensure that genuine persons belonging to BINJIA community only get the benefit of inclusion of the community in the list of Scheduled Tribes, the Commission recommended inclusion of Binjhia Community in the list of Scheduled Tribes in Raipur, Janjgir-Champa, Ambikapur Korba and Koriya Districts only of the Chhattisgarh State where they are stated to be found and mention the blocks, villages, tolas and hamlets where they are to be found. Since an area restriction has to be imposed while scheduling BINJHIA community as a ST. The Commission was also of the view that State Government should take steps to assess the population of BINJHIA community in each hamlet/ total/ village/ Block/ tehsil in the above mentioned districts, which will help check unexpected reporting of its population in the next Census and also assist the revenue authorities while issuing certificates to genuine persons belonging to BINJHIA community".

5. Above stated comments of NCST were sent to Government of Chhattisgarh for comments. In response, State Government vide its letter dated 30.9.14 had proposed for inclusion of Binjhia community in 11 districts namely Raipur, Baloudabazar-Bhata Para, Gariaband, Janjgir-Champa, Surguja (Ambikapur), Surajpur, Balrampur-Ramanuganj, Korba, Koria, Raigad and Mahasamund. Said comments of the State Government were sent to NCST on 2.11.15 and comments/ views of NCST are awaited.

*****